

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :-

हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील नम्बर 13/2018

उनवान प्रकरण

बदनसिंह पुत्र गनपति जाति ठाकुर निवासी ग्राम ईटकीं तहसील सैपऊ जिला धौलपुर  
.....अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर

.....रेस्पोडेण्ट



अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 15.01.2018  
मु0नं0 67/2018 सरकार बनाम बदनसिंह  
अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट न्यायालय  
तहसीलदार सैपऊ

उपस्थिति :-

अपीलान्त की ओर से  
रेस्पोडेण्ट की ओर से

:- श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे एडवोकेट  
:- श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 20.06.2018

उक्त अपील अपीलान्त द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त को आराजी खसरा नम्बर 717 रकवा 2 बीधा 5 विस्वा में से 1 वीधा 10 विस्वा भूमि किस्म गैर मुमकिन पोखर बॉके ग्राम ईटकीं तहसील सैपऊ में संरसों की फसल बोकर सम्बत 2074 रवी में पश्चातवर्ति अतिक्रमी मानते हुये उक्त आराजी से बेदखल कर लगान की 50 गुना शास्त्री अधिरोपित कर एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश दिनांक 15.01.2018 को पारित किया है जिससे व्यथित होकर अपीलान्त ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवाई व साक्ष्य समाअत करने का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का किसी प्रकार पालन नहीं किया है तथा अपीलान्त को बिना सुने निर्णय पारित किया है जो विधि विरुद्ध होने के कारण काबिल निरस्ती है। अपीलान्त ने अपील स्वीकार की

(2)

न्या०अति.जिला कलक्टर धौ०  
वमुक: बदनसिंह बनाम सरकार  
अपील संख्या 13/2018

जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलान्धीन निर्णय निरस्त किये जाने तथा सिविल कारावास की सजा को माफ किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोजेण्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस हेतु नियत की गई।

बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित बिन्दुओं दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने एक तश्फा आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने उक्त विवादित आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में वह उक्त आराजी पर कब्जा नहीं करेगा वर्तमान में अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है। अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में अपीलान्ट बदनसिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में सजा के बिन्दु को माफ करने हेतु निवेदन किया।

रेस्पोजेण्ट के विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। उसके द्वारा इससे पूर्व भी विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है, वह सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 717 रकवा 2 बीघा 5 विस्वा में से 1 बीघा 10 विस्वा भूमि किसम गैर मुमकिन पोखर बॉके ग्राम ईटकी तहसील सैपऊ में संरसों फसल बोकर सम्बत 2074 रवी मे नाजायज अतिक्रमण किया जाना सावित है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी सावित है कि अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी विवादित आराजी पर अतिक्रमण किया था तथा बार बार अतिक्रमण करने का आदि हैं। पुनः नाजायज कब्जा किये जाने पर अतिक्रमी पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। अपीलान्ट ने वहस में यह कथन किया है कि उसने विवादित आराजी से अपना अतिक्रमण हटा लिया है तथा भविष्य में वह उक्त विवादित आराजी पर अतिक्रमण नहीं करेगा इस आशय का उसने अपना शपथ पत्र भी इस न्यायालय को प्रस्तुत किया है।


अतः तहसीलदार सैपऊ को यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलान्ट ने विवादित आराजी से अपना अतिक्रमण हटा लिया तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने बावत तहसीलदार सैपऊ मौका सत्यापन करने पर अपीलान्ट द्वारा कब्जा छोडना पाते है एवं सम्बत 2075 में अपीलान्ट का अतिक्रमण नहीं पाया जावे तो

(3)

न्या०अति.जिला कलक्टर धौ०  
वमुक: बदनसिंह बनाम सरकार  
अपील संख्या 13/2018

तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रकरण संख्या 67/2018 उनवानी सरकार बनाम बदनसिंह मे पारित निर्णय दिनांक 15.01.2018 में अपीलान्त को दी गई एक माह के सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाता है शेष निर्णय यथावत रखा जाता है। यदि अपीलान्त द्वारा विवादित आराजी से कब्जा हटाया नहीं पाया जावे एवं सम्बत 2075 में अपीलान्त का कब्जा पाया जावे तो अपीलान्त के सिविल कारावास की सजा यथावत रहेगी। अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। इस निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( हरफूल सिंह यादव )  
अति० जिला कलक्टर  
धौलपुर (राज०)

